राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक प.25(20) सा.प्र./4/2011 जयपुर दिनांक 18-7-14

1. प्रबंधक, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस/राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, नई दिल्ली।
2. प्रबंधक, समस्त विश्राम भवन, राजस्थान।
3. प्रबंधक, ट्रांजिट होस्टल, गांधीनगर, जयपुर।

विषयः– बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित सामान का निस्तारण/नीलामी बाबत।

वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों/कार्यालयों के बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित सामान/वाहनों का दिनांक 31.12.2014 तक पूर्णतः निस्तारण करने का निर्णय लिया गया हैं। इस संबंध में पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों (दिनांक 24.06.2011) के अतिक्रमण में नवीनतम दिशा–निर्देश वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(1) FD/GF&AR/2005 Part-1 दिनांक 04.07.2014 (वित्त विभाग की बेबसाईट पर उपलब्ध है) द्वारा जारी कर दिए गए हैं।

कृपया वित्त विभाग के उपर्युक्त परिपत्र का अवलोकन कर इसमें प्रदत्त निर्देशों/शिथिलन के अनुसार कार्यवाही करते हुए आपके कार्यालय के समस्त बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित सामान का दिनांक 31.12.2014 तक निस्तारण करना सुनिश्चित करें। दिनांक 31.12.2014 तक इस प्रकार की सामग्री के शत–प्रतिशत निस्तारण में विफलता को विभाग द्वारा अत्याधिक गम्भीरता से लिया जाएगा तथा संबंधित कार्यालयाध्यक्षों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।

अतः इस संबंध में त्वरित कार्यवाही करते हुए बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित सामान का शत–प्रतिशत निस्तारण दिनांक 31.12.2014 तक करना सुनिश्चित करावें।

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– संयुक्त शासन सचिव,, वित्त (सा0वि0ले0नि0) विभाग।

संयुक्त शासन सचिव